कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–:– शिविरा/माध्य/छात्रवृति/सेल–डी/साई.वि.यो/2022–23 दिनांकः– 25/04/2022

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक

विषयः– बजट घोषणा संख्या 116/2021–22 की क्रियान्विति अन्तर्गत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण योजना बाबत्।

प्रसंगः– शासन के पत्रांक प. 1(7)शिक्षा–1/साई.वि.यो/2009 पार्ट–7 जयपुर दिनांक 02.02.2022 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार का प्रासंगिक पत्र के द्वारा बजट घोषणा संख्या 116/2021–22 घुमन्तु समुदाय के उत्थान हेतु निर्धारित योजना कि कियान्विति अन्तर्गत प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के कक्षा 6 से 11 तक राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण योजना का आगामी सत्र से कियान्विति बाबत् निर्देश प्राप्त हुए है।

राज्य में योजना के सफल क्रियान्विति हेतु आप अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं को योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार बाबत् निर्देश जारी करें। इस क्रम में उक्त योजना को समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं के साथ उक्त योजना को भी शामिल करते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम, प्रवेशोत्सव में एवं विद्यालय के सूचना–पट्ट पर योजना का वर्णन एवं देय लाभों का उल्लेख करवाने के निर्देश जारी करें।

Rajasthan Education Department

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–:– शिविरा/माध्य/छात्रवृति/सेल–डी/साई.वि.यो/2022–23 दिनांकः– 25/04/2022

प्रतिलिपिः– पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को योजना की क्रियान्विति हेतु शासन का पत्रांक दिनांक 02.02.2022 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. संपादक, शिविरा अनुभाग, कार्यालय हाजा को शिविरा पत्रिका में प्रकाशन बाबत्।
4. सहायक निदेशक, योजना अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा।
7 समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
8 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में उक्त योजना के प्रभावी प्रबोधनार्थ।
9 समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में समस्त संस्था प्रधान को योजना के दिशा–निर्देशानुसार क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।
10 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11 रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/ छात्रवृति/ सेल–डी /साई.वि.यो./2022–23 दिनांकः–25/04/22

विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्धघुमन्तु समुदाय के कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण ।

विस्तृत दिशा–निर्देश

योजना का नामः– विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्धघुमन्तु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण।

योजना का परिचयः–

घुमन्तु समुदाय के उत्थान हेतु निर्धारित योजना कि कियान्विति अन्तर्गत प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्धघुमन्तु समुदाय के कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण योजना का आगामी सत्र से योजना का परिलाभ दिया जायेगा।

योजना का उद्देश्यः–

1. प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्धघुमन्तु समुदाय का विकास करना ।
2. विमुक्त, घुमन्तु समुदाय तथा अर्द्धघुमन्तु समुदाय के विद्यार्थियों का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।

योजना के अन्तर्गत देय लाभः–

कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण।

पात्रता एवं शर्तें :–

पात्रता :

1. परिशिष्ठ'ख' (संलग्न) में उल्लेखित 32 जातियों (विमुक्त जातियाँ–9, घूमन्तु एवं अर्द्धघूमन्तु जातियाँ – 10 एवं अर्द्धघूमन्तु जातियाँ – 13) के विद्यार्थी
2. कक्षा 06 से 11 तक में अध्ययनरत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के छात्र एवं छात्राऐं (50 प्रतिशत छात्र एवं 50 प्रतिशत छात्राऐं)।

कक्षा	प्रस्तावित लक्ष्य		कुल
	छात्र	छात्रा	
6	350	350	700
7	350	350	700
8	350	350	700
9	205	206	411
10	205	206	411
11	205	206	411
कुल	1665	1668	3333

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

3. उन छात्र एवं छात्राओं को दुबारा लाभ नहीं दिया जायेगा जिन्हें इस योजना अन्तर्गत एक बार लाभान्वित किया जा चुका हो। इसके लिए विद्यार्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावेगा।
4. प्रत्येक कक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे।
5. कुल आवेदित विद्यार्थियों में से न्यून से अधिक आय की ओर बढते हुए क्रम में मेरिट का निर्धारण किया जायेगा।
6. अंतिम स्थान पर एकाधिक विद्यार्थी आने पर उनकी जन्मतिथि के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाये (जिस विद्यार्थी की जन्मतिथि अधिक है उसे पहले वरीयता में शामिल किया जाये)
7. उन छात्राओं को देय नहीं होनी चाहिए जिनको शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क साईकिल एक बार दी जा चुकी है या दी जा रही है तथा जिन छात्राओं द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा ली जा रही है इसके लिए कक्षा 09 या उच्च कक्षा की छात्राओं से इस आशय का एक शपथ–पत्र लिया जावेगा।

आवेदन व चयन की प्रक्रिया :

उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ऑनलाईन आवेदन (शाला दर्पण/पीएसपी के माध्यम से) लिया जावेगा (प्रपत्र संलग्न)। जिसे संस्थाप्रधान द्वारा सत्यापित कर सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र संकलित कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को भिजवाया जावेगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा राज्य के समस्त आवेदन पत्रों में से पात्र विद्यार्थियों का चयन कर निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जावेगी।

आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज :

1. जाति प्रमाण पत्र
2. आय प्रमाण पत्र
3. अंक तालिका
4. शपथ पत्र

देय लाभ : निःशुल्क साईकिल

Rajshan Education Department
सत्यमेव जयते

संलग्नः– ऑनलाईन आवेदप पत्र

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार

विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्धघुमन्तु समुदाय के कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क साईकिल वितरण योजना

आवेदन पत्र वर्ष 2022–23

छात्रा का फोटो

जनआधार आई डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्याडी.......................
(पूर्ति संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

1	छात्र / छात्रा का नाम			
2	वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा एवं सेक्शन जिसमें अध्ययनरत है			
3	परिवार की जन आधार आई–डी संख्या / एक्नोलेजमेन्ट नम्बर			
4	छात्रा के पिता का नाम			
5	छात्रा की माता का नाम			
6	छात्रा की जन्म तिथि (अंको एवं शब्दों में)			
7	लिंग			
8	धर्म			
9	जाति (प्रमाण पत्र संलग्न करें)			
10	अभिभावक / संरक्षक के पता एवं मोबाइल नम्बर			
11	विद्यार्थी की ई मेल आईडी			
12	ग्रामीण / शहरी			
13	परिवार की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)			
14	शैक्षणिक योग्यताः– उत्तीर्ण सत्र कक्षा परिणाम(प्रति संलग्न करे)	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
15	विद्यार्थी द्वारा क्या पूर्व में साइकिल / ट्रांसपोर्ट सुविधा प्राप्त की गई हैः– हां या नही (यदि नही तो शपथ पत्र संलग्न करें)			

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

अभिभावक / संरक्षक के हस्ताक्षर **जांचकर्त्ता / कक्षा अध्यापक** **संस्था प्रधान के हस्ताक्षरमय मोहर**

परिशिष्ट "ख"

LIST OF DENOTIFIED TRIBES, NOMADIC TRIBES AND SEMI NOMADIC TRIBES

विमुक्त, घुमन्तू जातियों और अर्द्ध घुमन्तू जातियों की सूची

As Approved vide Government in Social Welfare Department Order no. F.1(F)(2)SW/63/ dated 24-002-64

Denotified Tribes (विमुक्त जातिया)

1 Baori (बावरी)
2 Kanjar (कंजर)
3 Sansi (साँसी)
4 Bagri(Bawaria) (बागरी)(बावरिया)
5 Mogia (मोगिया)
6 Nut (नट)
7 Naik (नाइक)
8 Multanis (मुल्तानिस)
9 Bhat (भाट)

Nomadic Tribes and Semi Nomadic Tribes (घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू जातिया)

Nomadic Tribes (घुमन्तू जातिया)

1 Baldias (Banjaras) (बालदीयाज) (बंजारा)
2 Pardhis (परधिस)
3 Domabaris (दोमाबरिस)
4 Gadia Lohars (गाडिया–लोहार)
5 Iranis (इरानिस)
6 Jogi Kalbelia (जोगी कालबेलिया)
7 Jogi Kanphata (जोगी कनफटा)
8 Khurpalts (Kulphaltas) (खुरपलट्स) (कुलफलट्स)
9 Shikkaligar (सिकलीगर)
10 Ghisadis (घीसादिस)

Rajasthan Education Department

Semi Nomadic Tribes (अर्द्धघुमन्तू जातिया)

1 Sarangiwala-Bhopas (सारंगीवाला –भोपा)
2 Rebaris (रेबारी)
3 Raths (राठ)
4 Mangalias (मंगलियास)
5 Bhayas (भाया)
6 Kannis (कन्नीस)
7 Janglus (जंगलस)
8 Jalukus (जालूकूस)
9 Jhangs (झानस)
10 Sindlus (सिन्दुलस)
11 Jogis -(other then those included in Nomadic Tribes) (जोगी)(घुमन्तु जातियों में शामिल को छोडकर)
(i) Girinaths (गिरिनाथ)
(ii) Ajaipals (अजयपाल)
(iii) Agamnaths (अगमनाथ)
(iv) Namanths (नामाथ)
(v) Jalandhars (जालंधर)
(vi) Masanis (मसानी)
12 Ramaswamies (रामास्वामी)
13 Bharaddi-Jadhavs (भारादिजाधव)

सत्यमेव जयते

[illegible]

Om Prakash Bunkar
Director
SJED